

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 78]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2011—फाल्गुन 6, शक 1932

विधान सभा सचिवालय
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 फरवरी 2011

क्र. 4449-वि.स.-विधान-2010.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) जो विधान सभा में दिनांक 25 फरवरी, 2011 को पुरः स्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १ सन् २०११

न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०११

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम, १८७० का सं. ७ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० (१८७० का सं. ७) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

अनुसूची २ का संशोधन

३. मूल अधिनियम की अनुसूची २ में, अनुच्छेद १ में, खण्ड (ख) में, मद (एक), (दो) तथा (तीन) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित मद तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

“(एक) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये तक हो.

न्यूनतम दो सौ रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए अनादृत चैक की रकम का पांच प्रतिशत.

(दो) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम एक लाख रुपये से अधिक किन्तु पांच लाख तक हो.

न्यूनतम पांच हजार रुपये और ऐसी रकम पर जो एक लाख रुपये से अधिक हो, चार प्रतिशत.

(तीन) जब परिवाद में अंतर्वलित अनादृत चैक की रकम पांच लाख रुपये से अधिक हो.

न्यूनतम इक्कीस हजार रुपये और ऐसी रकम पर, जो पांच लाख रुपये से अधिक हो, अधिकतम एक लाख पचास हजार रुपये के अध्यक्षीन रहते हुए तीन प्रतिशत.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

उच्चतम न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) क्रमांक १०२२ सन् १९८९, आल इण्डिया जजेस एसोसिएशन और अन्य विरुद्ध भारत संघ तथा अन्य में, एक अंतरिम आदेश दिनांक १२ जुलाई, २०१० में यह निदेश दिया है कि अधीनस्थ न्यायालयों के अधोसंरचना विकास के लिये राजस्व उत्पन्न करने की दृष्टि से, परक्राम्य लिखत अधिनियम, १८८१ (१८८१ का २६) की धारा १३८ के अधीन अनादृत चैकों के लिए विचारणीय अपराध के लिये दायर किए जाने वाले परिवाद पर उद्ग्रहणीय न्यायालय फीस में बढ़ोतरी की जाए. इस आदेश के अनुपालन में, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में न्यायालय फीस अधिनियम, १८७० की अनुसूची दो में यथोचित संशोधन द्वारा ऐसी न्यायालय फीस को युक्तियुक्त करने का विनिश्चय किया गया है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : १० फरवरी, २०११.

डॉ. नरोत्तम मिश्रा
भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित”

डॉ. ए. के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 फरवरी 2011—फाल्गुन 7, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2011

क्र. 1288-63-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, न्यायालय फीस (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2011 (क्रमांक 1 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL

No.1 OF 2011.

THE COURT-FEES (MADHYA PRADESH AMENDMENT)
BILL, 2011.**A Bill further to amend the Court-fees Act, 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Court-fees (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Central Act No. VII of 1870 in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. The court-fees Act, 1870 (No. VII of 1870) hereinafter referred to as the principal Act), in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of Schedule II.

3. In the Schedule II to the principal Act, in article 1, in clause (b), for items (i), (ii) and (iii) and entries relating thereto, the following items and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

" (i) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is upto one lakh	Five percent of the amount of dishonoured cheque subject to the minimum of two hundred rupees.
(ii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than one lakh rupees but upto five lakh rupees.	Minimum five thousand rupees, plus four percent on the amount in excess of one lakh rupees.
(iii) When the amount of dishonoured cheque involved in the complaint is more than five lakh rupees.	Minimum twenty one thousand rupees, plus three percent on the amount in excess of five lakh rupees subject to maximum one lakh fifty thousand rupees."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In writ petition (Civil) No. 1022 of 1989, All India Judges Association and others versus Union of India and others, the Supreme Court of India has directed in an interim order dated 12th July, 2010, that with a view to generate the revenue for infrastructural development of subordinate judiciary, court fees leviable on the complaint filed for an offence triable under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881 (No. 26 of 1881) for dishonoured cheques, be enhanced. In compliance of this order, it is decided to rationalise such court fees by suitable amendment in Schedule II to the Court-fees Act, 1870, in its application to the State of Madhya Pradesh.

2. Hence this Bill.

BHOPAL :

Dated the 10th February 2011.

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-In-Charge.